National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040
Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 854-856

अकबर कालीन इतिहास : लेखन में अबुल फजल तथा मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूँनी के योगदान का तुलनात्मक अध्ययन

परवीन जहाँ
जे.आर.एफ. शोध–छात्रा, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

भारत में मुग़ल काल में इतिहास–लेख़न पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रथम मुगल सम्राट ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा 'तुजुक–ए–बाबरी' तुर्की भाषा में लिखी। हुमायूँ भी साहित्य और विद्या का अनुरागी था, उसने भी फारसी के विद्वानों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था।

अकबर के काल में कई कारणों से इतिहास–लेख़न में विकास हुआ। स्वयं अकबर की आज्ञा से इस कार्य में विकास हुआ, जिसमें अकबर कालीन राजनीतिक स्थिरता, सांस्कृतिक समृद्धि तथा बौद्धिक वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ा। इसमें विविधता है। आज इतिहासकारों के समक्ष यह समस्या प्रकट होती है कि किस प्रकार विभिन्न विचारधाराओं का समन्वय किया जाये।[1] प्रायः सभी इतिहासकारों ने अपनी विचारधारा का समावेश करते हुए घटनाओं पर प्रकाश डाला है। अबुल फज़ल, गुलबदन बेग़म, निजामुद्दीन अहमद और अब्दुल कादिर बदायूँनी इत्यादि के द्वारा लिखे गये ग्रन्थों में इस विविधता को अत्यधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।[2] यदि अबुल फज़ल का दृष्टिकोण अकबर के पक्ष में केन्द्रित है तो बदायूँनी का दृष्टिकोण मुस्लिम विचारधारा पर केन्द्रित है। गुलबदन बेग़म का दृष्टिकोण परिवार के बारे में लेख़न का था। उसने परिवार की महिलाओं एवं हरम की स्थिति के बारे में लिखा है। गुलबदन बेग़म कृति 'हुमायूँनामा' का अपना विशेष महत्त्व इसी कारण है। इसी तरह निजामुद्दीन बख्शी की भी अपनी शैली है। ये सभी विश्वसनीय हैं, समकालीन हैं प्रत्येक का अपना–अपना महत्त्व है। उनकी विविधता को ध्यान में रखना चाहिए।[3]

अकबर ने अपने राजवंश का इतिहास लिखने के लिए आदेश दिया था। उसने अबुल फज़ल को मुग़ल राजवंश का प्रामाणिक इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया था। 'अकबरनामा' अकबर के शासनकाल का शासकीय इतिहास है।[4] प्रो0 के0ए0 निजामी का विचार है कि[5] अकबर भारत के अतीत के इतिहास से वर्तमान को जोड़कर देखना चाहता था।[6] अपने उद्देशों को पूरा करने में वह इतिहास को मददगार मानता था। आशय यह है कि वह केवल आत्मप्रशंसा नहीं करवाना चाहता था बल्कि उसके उद्देश्य व्यापक थे। वह तैमूर घराने का इतिहास लिखवाना चाहता था। अकबर के समय अनेक इतिहासकार थे, कुछ तो दरबारी थे और कुछ गैर–दरबारी। इसके अलावा कवियों, लेख़कों और कलाकारों को भी अच्छा वातावरण उपलब्ध था।

अकबर कालीन इतिहास–लेख़न की धाराओं में एक धारा ऐसी भी थी कि जो अकबर से धार्मिक रूप से असन्तुष्ट मुसलमानों की विचारधारा को प्रकट करती थी। इस सम्बन्ध में अकबर के काल में लेख़न असम्भव था, क्योंकि बादशाह इसे क्यों पसन्द करते? मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूँनी अकबर के धार्मिक विचारों के घोर विरोधी होते हुए भी प्रकट रूप से अकबर के सेवक होने का भरसक प्रयास करते थे, लेकिन मन से उन्होंने अकबर की धार्मिक नीति को कभी पसन्द नहीं किया। अकबर को भी इसका आभास था। एक अवसर पर तो अकबर ने उसे डाँटते हुए हमराख़ोर कह दिया था।[7] मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूँनी का जन्म 1540 ई0 में हुआ था।[8] इसके पिता का नाम मलूकशाह था। बदायूँनी 5 साल की उम्र से ही कुरान पढ़ना प्रारम्भ कर दिये थे। उनके गुरु सैय्यद मोहम्मद मख़दूम थे। नकीब खाँ आगे चलकर इनका सहपाठी बना। बदायूँनी शेख़ मुबारक के शिष्य हो गये। बदायूँनी में बाल्याकाल से ही संकीर्ण धार्मिक–कट्टरता की विचारधारा थी। 1574 ई0 में वह अकबर के दरबार में पहुँचे और अकबर की कृपा प्राप्त किया और उसे 20 का मनसबदार नियुक्त किया गया।[9] अकबर ने उसे दरबार के सात इमामें में से एक इमाम नियुक्त किया। बदायूँनी की कट्टरता किसी से छिपी नहीं थी। बदायूँनी चाहता था कि अकबर अन्य धर्मों के कोई छूट न दे बल्कि इस्लाम का ही प्रचार–प्रसर करने का प्रयास करे। वह केवल इस्लाम को ही सत्य माने। लेकिन अकबर ने सुलहे कुल की नीति अपनायी तथा उससे अपनी दूरी बनाना ही बेहतर समझा। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1579 को स्वयं खुतबा पढ़ा और ''अभ्रान्ति आज्ञापत्र'' प्रसारित किया। इसके माध्यम से अकबर ने उलेमाओं के इस्लामी विधि की व्याख्या करने का विशेष अधिकार स्वयं प्राप्त कर लिया। इस महजर को साम्राज्य के बड़े–बड़े उलेमाओं ने अपने हस्ताक्षर सहित अकबर को भेंट किया था। यह घोषणा पत्र अगस्त–सितम्बर 1579 में ही कभी प्रस्तुत किया गया था। इस महजर को 'अभ्रान्ति आज्ञा पत्र' कहना सही नहीं है। वास्तव में इस घोषणा पत्र में केवल यह व्यवस्था किया था कि विवादग्रस्त कुरान के नियमों की कई व्याख्याओं में से वह किसी एक को चुन ले और कोई नया नियम या आदेश जारी कर दे बशर्ते कि यह नियम कुरान की किसी आयत के ही अन्तर्गत आता हो।[10] बदायूँनी ने उसकी कटु आलोचना की है। 57 वर्ष की आयु में मुल्ला अब्दुल कादिर का बदायूँ में देहावसान हो गया।[11] बदायूँनी ने मुन्तख़ाब–उत–तवारीख़' का लेख़न चुपके–चुपके किया और उसे अकबर के काल में गुप्त रखा। जहाँगीर के शासन काल में उसने अपनी कृति को प्रकट किया। जहाँगीर भी नाराज हुआ और उसने आदेश दिया कि इस पुस्तक की सभी प्रतिओं को खोजकर जला दिया जाये।[12] लेकिन कुछ प्रतियाँ बदायूँनी ने बचा ही ली थी जो इतिहास की बहुमूल्य देन के रूप में आज भी अपनी छाप पाठकों पर छोड़ रही हैं। वास्तव में अबुल फज़ल ने प्रशंसा की सारी हदें पार करते हुए अकबर के बारे में बहुत बढ़ा चढ़ाकर लिखा था। यदि बदायूँनी ने उन बातों का एक विरोधी की तरह अर्थ न समझाया होता तो शायद इतिहास की समझ अकबर के बारे में एकपक्षीय ही होती। 'मुन्तख़ाब–उत–तवारीख़' में भारतवर्ष का इतिहास दिया हुआ है जो महमूद गज़नवी से प्रारम्भ होकर अकबर के शासन के 40वें वर्ष तक का विवरण देता है।[13]

जिन बिन्दुओं पर अबुल फज़ल ने चुप्पी साध ली थी तथा जिस पर अधिक विस्तारपूर्वक नहीं लिखा था, उसके बारे में बदायूँनी के

लेख़न से रिक्त स्थान की पूर्ति होती है।

बदायूँनी फारसी और अरबी भाषा के विद्वान थे, लेकिन उसने संस्कृत के ग्रन्थों का भी अनुवाद किया। अतः वह संस्कृत का ज्ञाता भी था। उसकी प्रमुख कृति 'मुन्तख़ाब–उत–तवारीख़' तीन भागों में है। प्रथम भाग में दिल्ली सुल्तानों का इतिहास है, यह हुमायूँ के शासनकाल के अन्त तक है। दूसरे भाग में, अकबर के शासनकाल की 1595 तक की घटनाओं का विवरण है। तृतीय भाग में मुसलमान विद्वानों और संतों का वर्णन है। बदायूँनी के लेख़न में तिथियों सम्बन्धी कई त्रुटियाँ हैं। इस कारण घटनाक्रम दोषपूर्ण है। अबुल फज़ल और बदायूँनी की तुलना अकबर कालीन इतिहास को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही समकालीन प्रतिष्ठित विद्वान थे, लेकिन दोनों की भाषा–शैली और विचारधाराओं में बड़ा अन्तर है, दोनों के मत एक दूसरे के विपरीत हैं। वर्णन शैली में अबुल फज़ल अधिक श्रेष्ठ है। उसकी शैली रोचक और सरल है। बदायूँनी की शैली में उतनी रोचकता नहीं है। बदायूँनी में राजनीतिक बुद्धि–चातुर्य और ऐतिहासिक दूरदर्शिता की कमी थी। उसमें इतिहासज्ञ की विश्लेषण की प्रतिभा, निष्पक्ष न्याययुक्त तथा सन्तुलित विवेचना और आलोचना का अभाव था। उसमें घटनाओं का सत्य और तथ्यपूर्ण वर्णन करने की क्षमता नहीं थी[14] बल्कि वह अपनी कट्टर विचारधारा के अनुसार लिखता था।

अकबर कालीन इतिहास–लेख़न में सर्वाधिक योगदान शेख़ अबुल फज़ल का है। अबुल फज़ल का जन्म 14 फरवरी 1550 को आगरा में हुआ था। यह फैज़ी के छोटे भाई थे। इसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। उसकी स्मरण शक्ति विलक्षण थी। 1574 ई0 में वह अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ था।[15] अबुल फज़ल अपनी विद्वता के कारण शीघ्र ही अकबर का परामर्शदाता बन गया। इबादतख़ाना के वाद–विवाद में उसने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया। रुढ़िवादी उलेमा अपना प्रभाव दिनों–दिन खोने लगे। आगे चलकर अबुल फज़ल दीन–ए–इलाही का उच्च आचार्य बन गया। उसके माध्यम से ही दीन–ए–इलाही में सदस्य दीक्षित किये जाते थे।[16] उसके बारे में बदायूँनी ने लिखा है कि उसने (अबुल फज़ल) जहान में बुद्धि और ज्ञान का हल्ला मचा दिया है। ..... जिसने मुखालफत (विरोध) की, उसको समाप्त कर दिया। मख्दूम–उल–मुल्क और अब्दुन्नवी का पतन हो गया।[17] एक इतिहासकार के रूप में अबुल फज़ल ने अपने कार्य से अकबर को प्रसन्न किया था, किन्तु उसके कई आलोचक भी थे। दरबार में अबुल फज़ल की प्रमुखता से शाहज़ादा सलीम भी चिढ़ने लगा। सलीम ने अबुल फज़ल पर धार्मिक ढोंग और दिखावे का आरोप भी लगाया था। 1598 में अकबर अबुल फज़ल से नाराज़ हो गया। यह सलीम के कारण हुआ। इसके बाद सलीम ने विद्रोह कर दिया (1602 ई0)। अबुल फज़ल को अकबर ने दक्षिण से बुलाया, तब सलीम फिर भड़क गया और बुन्देलखण्ड में ओरछा नरेश वीरसिंह देव के माध्यम से अबुल फज़ल की हत्या करा दी।[18] मृत्यु के समय अबुल फज़ल की आयु 51 वर्ष 7 माह थी। उसकी मृत्यु पर अकबर को बहुत दुःख हुआ। उसकी बहुमूल्य सेवा इतिहासकार के ही रूप में नहीं थी, बल्कि तलवार से भी उसने बहुमूल्य सेवायें की थी। वह अच्छा सेनानायक भी था। अकबर ने जब 1598–99 में दक्षिण भारत में अहदमनगर और बरार को जीतने के लिए शाहज़ादा मुराद को भेजा तब उसने अबुल फज़ल को भी भेजा था। अबुल फज़ल ने दक्षिण के युद्धों में भी काफी योगदान दिया था। असीरगढ़ की विजय के बाद अकबर ने असीगढ़ का दुर्ग अबुल फज़ल के पुत्र अब्दुर्रहमान को सौंप दिया।[19] अबुल फज़ल के जीवन में उतार–चढ़ाव आये थे। जीवन के प्रथम भाग में वह अपने पिता व भाई के साथ उलमा के द्वारा बहुत उत्पीड़ित हुए थे। दूसरे भाग में वह अपने भाई के साथ अकबर के दरबार में उच्च स्थान पर विराजमान हुए। उत्पीड़न के दौर में अबुल फज़ल अनेक कष्टों का सामना किए, लेकिन उनके अन्दर इतनी योग्यता थी कि वे अन्ततः अकबर की घनिष्ठ मित्र मण्डली में पहुँचने में कामयाब हो गये। अबुल फज़ल के इन कष्टों का उल्लेख कई जगह मिलता है। इतिहासकार हरवंश मुखिया ने भी उल्लेख किया और 'आईन–ए–अकबरी' तथा 'अकबरनामा' में भी इसका संकेत है।[20] इनके पिता शेख़ मुबारक अपने समय के सुप्रसिद्ध विद्वान थे। उनका आदर अब्दुल कादिर बदायूँनी भी करते थे। शेख़ मुबारक प्रारम्भ में इस्लाम के कट्टर अनुयायी थे, लेकिन बाद में उनके विचारों में परिवर्तन आया और वे अन्य धर्मों और सम्प्रदायों के प्रति उदार हो गये। इसका उल्लेख करते हुए बदायूँनी ने इसे उनके ऊपर एक आरोप माना है।[21] अबुल फज़ल ने अपने पिता की विद्वता का उल्लेख किया है।[22] लेकिन शेख़ मुबारक का महदवी आन्दोलन के प्रति लगाव था इसी कारण कट्टर उलेमा उनके खिलाफ हो गये थे।

लेकिन अबुल फज़ल ने इसे उलेमा के द्वारा अपने पिता के ऊपर लगाया गया झूठा आरोप बताया है।[23] बदायूँनी ने यह लिखा है कि शेख़ मुबारक शेख़ अलाई की संगति करते थे। शेख़ मुबारक अपने दोनों पुत्रों के साथ बादशाह अकबर के सम्पर्क में आने के लिए शेख़ सलीम चिश्ती का सहारा लिये। लेकिन शेख़ सलीम ने उनको कुछ रुपया देकर गुजरात भाग जाने की सलाह दी। तब शेख़ मुबारक ने अकबर के सौतेले भाई मिर्जा को कोका की मदद प्राप्त की और अकबर के दरबार में पहुँचने में कामयाब रहे।

उलेमा से शेख़ मुबारक, शेख़ फैज़ी और अबुल फज़ल को खतरा था। अबुल फज़ल और अकबर की वैचारिक मित्रता इसीलिए बढ़ी कि अकबर को भी उलमा पर नियंत्रण प्राप्त करना था। अकबर को शेख़ मुबारक और अबुल फज़ल जैसे लोगों की सेवाओं की आवश्यकता थी। बदायूँनी जैसे आलोचक विद्वान को भी अकबर ने अपनी सेवा में रखा। अकबर ने अबुल फज़ल और बदायूँनी दोनों का इस्तेमाल करते हुए इबादतख़ाना में उलेमा के अल्पज्ञ ज्ञान को उज़ागर कर दिया। उलेमा को अपने नियंत्रण में लाने के लिए अकबर द्वारा उठाया गया यह कदम सार्थक सिद्ध हुआ।

अबुल फज़ल की महत्वपूर्ण कृति 'अकबरनामा' है, इसे तीन खण्डों में लिखा गया है। प्रथम खण्ड में अकबर के शासन के 17 वर्षों के शासन का वृत्तान्त है, द्वितीय खण्ड में यह वृत्तान्त 46वें राजवर्ष तक चलता है। अकबर के शासन के 47वें वर्ष के प्रारम्भ में अबुल फज़ल की हत्या हो गयी। तृतीय खण्ड जिसे 'आईन–ए–अकबरी' कहते हैं। 'आईन–ए–अकबरी' प्रशासन की जानकारी के लिए एक कोश के समान है।[24] 'आईन–ए–अकबरी' में विविध प्रकार की जानकारियाँ दी गयी हैं। सोने की शुद्धता को भी परखने के बारे में अध्याय दिया गया है' तोपों के बारे में भी लिखा गया है।[25] उसे अकबर के शासन के 42वें वर्ष के अन्त तक लिखा गया था। उसमें 43वें वर्ष की बरार की विजय की घटना को जोड़ दिया गया था। अबुल फज़ल की हत्या के बाद 'अकबरनामा' का लेख़न रुक गया। उसे शाहजहाँ के शासनकाल में पूरा किया गया। एक व्यक्ति ने अकबर के शासन के अन्त तक का विवरण उसमें जोड़ा। इस लेख़क का नाम था – मोहीब अली खान।

अबुल फज़ल की शैली के विषय में अब्दुल्ला उजबेग़ कहा करता था कि ''मैं अकबर की तलवार से इतना नहीं डरता, जितना अबुल फज़ल की कलम से डरता हूँ।''[26] अबुल फज़ल ने राजत्व के दैवी सिद्धान्त की व्याख्या किया है। वह लिखता है कि ''राजसत्ता परमात्मा से फूटने वाली ज्योति और विश्व को प्रकाशित करने वाले सूर्य की किरण, पूर्णता के ग्रन्थ का सबल तर्क और सब गुणों की

खान है। इसे फर्रे–इजीदी (दैवी ज्योति) और कियाँ खुश (प्रकाश–चक्र) कहते हैं। यह बिना किसी की मध्यस्थता के ईश्वर द्वारा सम्राटों को सीधे प्रेषित की जाती है और इस (ज्योति) की उपस्थिति में लोग अधीनता पूर्वक श्रद्धा से अपना मस्तक भूमि की ओर झुका लेते हैं। यह परमात्मा की शक्ति की प्रतीक और परमात्मा रूपी सूर्य की प्रकाश फैलाने वाली किरण होती है। जिन लोगों को यह प्रकाश ज्योति मिलती है उनमें अनेक गुण होते हैं, जिन्हें इन चार शीर्षकों में विभाजित किया जा सकता है : (1) अपनी प्रजा के प्रति पितृवत स्नेह, (2) विशाल हृदय, (3) परमात्मा में दिनोंदिन बढ़ती हुई आस्था, (4) उपासना और भक्ति।[27]

अकबर कालीन इतिहास–लेखन में अबुल फज़ल तथा मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूँनी का बहुमूल्य योगदान है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अकबर की 'सुलह–ए–कुल' की नीति का निहितार्थ दोनों अपने–अपने विचारों के अनुसार भिन्न–भिन्न व्यक्त करते हैं। अबुल फज़ल 'दीन–ए–इलाही' को 'सुलह–ए–कुल' की नीति का आधार मानते हैं। दूसरी ओर बदायूँनी इसे केवल मुसलमानों की दृष्टि से देखते हैं और इसके द्वारा भारत में इस्लाम के प्रचार के पराभव का संकेत देते हैं। वास्तविकता यह थी कि अकबर ने इस्लाम का पूरा सम्मान किया था और वह एक मुसलमान की तरह ही रहा था केवल राजनीतिक जीवन में उसने 'सुलह–ए–कुल' की नीति का अवलम्बन किया था। इसे दोनों इतिहासकारों ने अपने–अपने ढंग से व्यक्त किया है। वास्तव में अबुल फज़ल और बदायूँनी की लेखनीय से निकलते हुए सभी निष्कर्ष सत्य पर आधारित हो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। एक पर चाटुकार होने का आरोप है तो दूसरे पर विरोधी होने का आरोप है। अतः इन दोनों का एक साथ अध्ययन करने से ही वस्तुस्थिति का आँकलन किया जा सकता है। विण्सेंट स्मिथ तथा अन्य यूरोपीय इतिहासकारों का इनके बारे में विचार कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि वे दुर्भावनाग्रस्त होकर लिखने वाले इतिहासकार थे।

संदर्भ

1. ख़लीक अहमद निज़ामी, ऑन हिस्ट्री एण्ड हिस्टोरियन्स ऑफ मेडिवल इण्डिया, मुंशीराम मनोहरलाल प्रकाशन, नई दिल्ली 1983, पृ0 224
2. ख़लीक अहमद निज़ामी, पूर्वोक्त, पृ0 225
3. ख़लीक अहमद निज़ामी, पूर्वोक्त, पृ0 224
4. ख़लीक अहमद निज़ामी, पूर्वोक्त, पृ0 506
5. ख़लीक अहमद निज़ामी, पूर्वोक्त, पृ0 225
6. ख़लीक अहमद निज़ामी, पूर्वोक्त, पृ0 225
7. ख़लीक अहमद निज़ामी, पूर्वोक्त, पृ0 241
8. इलियट और डाउसन के अनुसार बदायूँ में 947 अथवा 949 हिज़री में जन्म हुआ था। इलियट और डाउसन, भारत वर्ष का इतिहास, भाग–5, सुशील गुप्ता प्रकाशन, कोलकाता–6, संस्करण 1906, पृ0 1
9. इलियट और डाउसन, भारत वर्ष का इतिहास, भाग–5, सुशील गुप्ता प्रकाशन, कोलकाता–6, संस्करण 1906, पृ0 1
10. आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, अकबर महान, भाग–2 (हिन्दी), शिवलाल अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण 1972, पृ0 328
11. बी0एन0 लूनिया, अकबर महान, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल प्रकाशन, आगरा, प्रथम संस्करण 1972, पृ0 444
12. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 446
13. इलियट और डाउसन, भारत वर्ष का इतिहास, भाग–5, किताब महल प्रकाशन, इलाहाबाद, प्रथम संस्करण 1964, पृ0 477
14. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 1
15. कोलोनल जी0बी0 मैलिसन, रूलर्स ऑफ इण्डिया अकबर एण्ड द राइज ऑफ द मुग़ल इम्पीरर, केनेली प्रकाशन, संस्करण, मार्च 2007, पृ0 151–153
16. एम0 अतहर अली, मुग़ल इण्डिया, आक्सफोर्ट यूनिवर्सिटी प्रेस 2008, पृ0 163
17. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 436
18. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 437–438 एवं कोलोनल जी0बी0 मैलिसन, पूर्वोक्त, पृ0 139
19. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 437
20. हरवंश मुखिया, हिस्टोरियन एण्ड हिस्टोरियोग्राफी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर, विकास प्रकाशन, नई दिल्ली 1976, पृ0 41, अकबरनामा भाग–2, पृ0 303, 387, आईन–ए–अकबरी खण्ड–2, एच0 ब्लोच मैन, पृ0 269, सुजान राय भण्डारी, खुलासत–उत– तवारीख़, दिल्ली 1918, पृ0 434 (यथा उद्धृत), हरवंश मुखिया, पृ0 41
21. बदायूँनी, मुन्तखाब–उत–तवारीख़, भाग–3, पृ0 73–75 (यथा उद्धृत) हरवंश मुखिया, पृ0 42
22. अकबरनामा, भाग–3, पृ0 388 (यथा उद्धृत) हरवंश मुखिया, पृ0 46
23. आईन–ए–अकबरी, खण्ड–2, पृ0 264–265 (यथा उद्धृत) हरवंश मुखिया, पृ0 42
24. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 507
25. इरफान हबीब (सम्पादक) अकबर एण्ड हिज इण्डिया, आक्सफोर्ट प्रकाशन, 2014, पृ0 127
26. बी0एन0 लूनिया, पूर्वोक्त, पृ0 447
27. आईन–ए–अकबरी, भाग–1, पृ0 3 (यथा उद्धृत) आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, अकबर महान, भाग–2, पृ0 19